

अनुबंध – गारंटी बॉन्ड प्रारूप

क्षेत्रीय निदेशक / मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिजर्व बैंक
निर्गम विभाग
(पता)

प्रिय महोदय,

हमारे द्वारा (बैंक का नाम) निविदित रू. 500/- तथा रू. 1000/- मूल्यवर्ग की वापस ली गई वैध मुद्रा, जिसको इसके बाद विनिर्दिष्ट बैंक नोट (SBN) कहा जाएगा, जिसकी विस्तृत जांच लंबित है, के विनिमय के मूल्य का तुरंत भुगतान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के मद्देनजर हम (बैंक का नाम) इस प्रकार के मामलों में इन मौजूदा विनिर्दिष्ट बैंक नोटों में नोटों के कम पड़ना, गंदे नोटों, निर्माण किए गए नोटों, जाली नोटों आदि सहित कोई कमी पाई जाती है तो इसको सही करने के लिए बिना किसी रूकावट, त्रुटि के (क्षेत्रीय निदेशक / मुख्य महाप्रबंधक) द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं। हम नोटों के कम पड़ने या अन्य कोई त्रुटि पाये जाने पर हमारे रिजर्व बैंक में रखे गए खाते को नामे करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकृत करते हैं। यह घोषणा तब तक प्रभावी रहेगी जब तक इसको लिखित में रद्द नहीं किया जाता।

भवदीय

कृते
(बैंक का नाम)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
(प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम)
(आधिकारिक पहचान / सील नंबर)

(दिनांक) के दिन (माह) वर्ष)